भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 103

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2023

राजस्थान में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई

103. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई, विशेष रूप से निर्यातक उद्यमों का प्रतिशत और कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई की जिले और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) राजस्थान में महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई को विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के लिए ऋण सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे अपना व्यवसाय चला सकें और महिलाओं के लिए व्यवसाय करने की आसानी बढ़ाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण किया जा सके?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार (दिनांक 27.01.2023 तक) जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान में महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई, विशेष रूप से निर्यातक उद्यमों का प्रतिशत और उनकी कुल संख्या का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

अखिल भारत/राजस्थान **(1)**	दिनांक 01.07.2020 से पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या **(2)**	दिनांक 01.07.2020 से पंजीकृत निर्यातक उद्यमों की संख्या **(3)** **[(3)/(2)*100]**	दिनांक 01.07.2020 से महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे पंजीकृत उद्यमों की संख्या **(4)** **[(4)/(2)*100]**	दिनांक 01.07.2020 से महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे पंजीकृत निर्यातक उद्यमों की संख्या **(5)** **[(5)/(3)*100]**
अखिल भारत	1,36,50,610	1,52,136 (1.11%)	25,49,497 (18.68%)	16,726 (10.99%)
जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र सहित राजस्थान	10,34,777	7,239 (0.69%)	1,29,896 (12.55%)	1,039 (14.35%)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं।

(ख) : गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले तथा उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्यम में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या का जिला-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : राजस्थान राज्य में एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित, एमएसएमई को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

i. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000 में इस स्कीम के शुरुआत से लेकर अब तक महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई के 13.29 लाख खातों द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में 53,080 करोड़ रुपए की गारंटी राशि प्रदान की गई है।
ii. वर्ष 2008-09 में पीएमईजीपी की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग कुल 8.24 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 20,300 करोड़ रुपए से अधिक की मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई है जिससे लगभग 68 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(घ) : एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/औद्योगिक विभागों तथा अन्य एमएसएमई स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय करके उद्यम पंजीकरण तथा सरकारी स्कीमों/कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विगत हाल ही में सरकार ने देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों सहित एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)।
ii. आत्म निर्भार भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
vi. एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और हैंड होल्डिंग सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. खुदरा और थोक व्यापारों का दिनांक 02.07.2021 से एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई की स्थिति में उन्नयन के मामलों में 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार।
ix. सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 प्रतिशत की खरीद के लिए प्रावधान।
x. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए ''समर्थ'' की शुरुआत।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 103, जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में उद्यम पंजीकरण पोर्टल (दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 27.01.2023 तक) पर राजस्थान राज्य में महिलाओं के स्वामित्व वाले पंजीकृत एमएसएमई का जिला-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**जिला**	**2020-2021**	**2021-22**	**2022-2023**
1	अजमेर	1,587	2,633	2,668
2	अलवर	1,062	1,767	2,253
3	बांसवाड़ा	229	614	858
4	बारन	213	407	941
5	बाड़मेर	565	828	852
6	भरतपुर	551	907	643
7	भीलवाड़ा	1,069	1,702	2,398
8	बीकानेर	1,260	1,974	1,936
9	बूंदी	186	392	419
10	चित्तौड़गढ़	490	845	1,349
11	चुरू	439	942	1,059
12	दौसा	398	547	695
13	धौलपुर	56	144	234
14	डूंगरपुर	210	460	781
15	गंगानगर	1,067	1,677	1,947
16	हनुमानगढ़	545	948	1,236
17	जयपुर	9,427	13,278	13,571
18	जैसलमेर	122	270	670
19	जालौर	341	456	448
20	झालावाड़	191	380	567
21	झुंझुनू	530	975	1,451
22	जोधपुर	2,464	3,721	3,646
23	करौली	150	292	374
24	कोटा	1,085	1,733	2,563
25	नागौर	731	1,024	1,361
26	पाली	952	1,255	1,577
27	प्रतापगढ़	124	221	273
28	राजसमंद	334	633	939
29	सवाई माधोपुर	203	471	609
30	सीकर	886	1,297	1,712
31	सिरोही	311	454	491
32	टोंक	234	590	834
33	उदयपुर	1,503	2,461	2,728
	कुल:-	**29,515**	**46,298**	**54,083**